न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री समदर सिंह भाटी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 140 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गोपाराम पुत्र अमराराम		1. जवाराराम पुत्र भीखाराम
2. अजयकुमार अमराराम		2. मंगलाराम पुत्र भीखाराम
3. केसाराम पुत्र अमराराम		3. सांवलाराम पुत्र भीखाराम जाति प्रजापत निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी हाल निवासी लोहिड़ी (नाकोड़ा)
4. मगाराम पुत्र अमराराम		4. शाखा प्रबनधक एस.बी.आई सिणधरी
5. चौथीदेवी पत्नी अमराराम		5. तहसीलदार सिणधरी
6. लिखमाराम पुत्र भारताराम		
7. मोबताराम पुत्र भारताराम		
8. लिछमणाराम पुत्र मिसराराम		
9. लुणी पत्नी मिसराराम		
10. बुधाराम पुत्र राणाराम		
11. कानू पत्नी राणाराम जाति प्रजापत निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.राज.पैरोकार नायव तहसीलदार(तहसील कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से उपस्थित। शेष एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:12 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक– 03.12.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 550 रकबा 1.2944 हैक्टयर व खसरा संख्या 549 रकबा 2.3380 हैक्टयर ग्राम चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 624

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रकबा 0.4935 हैक्टयर भूमि आया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 624 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 1 से 4 बावजूद नोटिस तामिल के जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी।

वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिए थे,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 550 रकबा 1.2944 हैक्टयर व खसरा संख्या 549 रकबा 2.3380 हैक्टयर ग्राम चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 624 रकबा 0.4935 हैक्टयर भूमि आया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे की भूमि में से होकर गुजरना पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक आवागमन हेतु बाधा उत्पन्न करते है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 624 भूमि में होकर रास्ते के रूप में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:12 IST
Reason: SelfAttested

हमनें प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 550 व 549 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच ग्राम चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 624 में से चल रहे रास्ते को कटाण रास्ते के रूप में स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। आवेदन के तथ्यों के सन्दर्भ में प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के अद्यतन एवं अवलोकन में पाया गया कि मौजा चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 549 के लगती हुई सीमा पर दोनों ओर से एक तरफ ग्रेवल सड़क तथा दूसरी और डामर सड़क बनी हुई है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 550 में पंहुचन हेतु सरकारी कटाण मार्ग से बीच में स्थित खसरा संख्या 549 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही उक्त खसरे में से रास्ते की मांग की गई है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रा.का. अधि. की धारा 251ए के तहत किसी भी खातेदार को उसकी जोत से सड़क मार्ग से जोड़ने अथवा आवागमन हेतु निकटतम रूप से उपलब्ध रूटचार्ट को ध्यान में रखते हुए सड़क अथवा कटाण मार्ग से जोड़ा जाना होता है, परन्तु इस प्रकरण में खेत खसरा संख्या 549 जिसमें आवेदन प्रस्तुतकर्ता स्वयं पक्षकार है ओर उसकी खातेदारी जोत जो दोनों ओर से सड़र्क मार्ग से जुड़ी हुआ है, जैसा कि मौका रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शा में स्पष्ट प्रदर्शित किया गया है। जहां तक विधि का विधान है कि जब कोई आवेदनकर्ता स्वयं के नाम की खातेदारी जोत जो कि सड़क मार्ग से लगती हुई भूमि का सहखातेदार हो तो वह विधिवत रूप से सड़क सुविधा को ध्यान में रखते हुए जरिये विभाजन करवाते हुए आवागमन की उपलब्धता को सुनिश्चित करवार सकता है अथवा अपनी खातेदारी भूमि के समस्त हितबद्ध पक्षकारान से अपनी खातेदारी भूमि जरिये समर्पण अथवा कटाण करवा सकता है। ऐसी स्थिति में जब आवेदनकर्ता स्वयं की खातेदारी भूमि सड़क मार्ग से लगती हुई होने की दशा में वह नियमानुसार अधिनियम के प्रावधानानुसार नया रास्ता पाने का हकदार नहीं है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र तथ्यहीन एवं विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:13:12 IST
Reason: SelfAttested

(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 03.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी